कोयला एवं लिग्नाइट परियोजनाएं

6.1 कोयला परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं मानीटरिंग

6.1.1 कोल इंडिया लि0 (सीआईएल) को " महारत्न " का दर्जा प्रदान किए जाने पर वह अब अपनी सहायक कंपनियों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों के बाहर वाली परियोजनाओं सहित अपनी सभी परियोजनाओं को स्वीकृत /अनुमोदित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए सक्षम है । "मिनी रत्न का दर्जा " प्रदान कर दिए जाने के कारण नार्दन कोलफील्डस लि0 (एनसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लि0 (डब्ल्यूसीएल), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि0 (एसईसीएल), महानदी कोलफील्डस लि. (एमसीएल) और सेन्ट्रल कोलफील्डस लि0 (सीसीएल) के निदेशक मंडलों को 500 करोड़ रू0 तक की परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है । सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि0 (सीएमपीडीआईएल) के निदेशक मंडल को 250 करोड़ रू0 तक की लागत वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह कंपनी मिनिरत्न की श्रेणी।। के अंतर्गत आती है। ईस्टर्न कोलफील्डस लि0 (ईसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल) के निदेशक मंडल 20 करोड़ रू0 तक की कोयला परियोजनाएं अनुमोदित कर सकते हैं । संबंधित सहायक कंपनियों की अनुमोदन क्षमता से बाहर के पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं को संबंधित सहायक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद अंतिम अनुमोदन के लिए सीआईएल बोर्ड को भेजा जाता है । नवरत्न दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार, एनएलसी को नई मदों की खरीद पर अथवा मदों को बदलने के लिए बिना किसी मौद्रिक सीमा के पूंजीगत व्यय करने के लिए शक्ति दी गई है। तदनुसार, एनएलसी बोर्ड नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए समर्थ है।

6.1.2 कोयला कंपनियों द्वारा कोलियरी स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर कोयला परियोजनाओं का प्रबोधन किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो निवारक कार्रवाई की जाती है। 20 करोड़ रू. तथा इससे अधिक की लागत वाली कोयला परियोजनाओं की तिमाही परियोजना प्रबोधन रिपोर्टों को सभी कंपनियों द्वारा इस मंत्रालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। कोयला मंत्रालय में 500 करोड़ रू. तथा 3 मि0ट0 प्रतिवर्ष अथवा उससे अधिक की लागत वाली प्रमुख कोयला परियोजनाओं का प्रबोधन सचिव (कोयला) के स्तर पर तिमाही आधार पर किया जाता है।

इस बैठक में योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सदस्य भी भाग लेते हैं। ऐसी बैठकें कोयला कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं के आधार पर की जाती हैं जिनमें कोयला कंपनियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार और कमांड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दर्शाया जाता है। समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर कोयला मंत्रालय तथा संबद्ध कोयला कंपनी, दोनों ही के द्वारा उपयुक्त

अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है । इसके अलावा, जब भी कोयला कंपनियां कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले किसी लंबित मुद्दे के समाधान हेतु सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से संपर्क करती हैं, तो मंत्रालय द्वारा उस मुद्दे को उपयुक्त स्तर पर संबद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ।

6.2 कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं

6.2.1 1.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई है।

6.2.2 1.4.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कोई परियोजना स्वीकृति नहीं की गई है।

6.2.3 एनएलसी बोर्ड ने अप्रैल, 2012 के थर्मल पावर स्टेशन–II विस्तार के लिए 3027.59 करोड़ रूपए की राशि का संशोधित अनुमान (आरसीई–II) अनुमोदित किया था।

ओपनकास्ट खान में ओबी निस्तारण कार्य कलाप के दौरान एक विशाल ड्रैगलाईन प्रचालन में

(क)1.4.2012 से 31.12.2012 तक कोल इंडिया लि0 द्वारा स्वीकृत नयी/विस्तार/विस्तार परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1	चिनचाला–चिखलगांव एकीकृत ओसी (लागत जमा आधार)	डब्ल्यूसीएल	12.12.2012	3.00	1176.13
2	सोनपुर बाजारी काम्ब सीम ओसी	ईसीएल	07.08.2012	8.00	1055.05

(ख)1.4.2012 से 31.12.2012 तक सहायक कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत नयी/विस्तार/विस्तार परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1.	उमरेर ओसी में एम्ब नदी चरण–4 के विपथन की योजना	डब्ल्यूसीएल	27.07.2012	2.00	61.11

(ग) 1.4.2012 से 31.12.2012 तक कोल इंडिया लि. द्वारा कोई आरसीई/आरपीआर/यूसीई स्वीकृत नहीं की गई स्वीकृत नई परियोजनाएं

(घ) 1.4.2012 से 31.12.2012 तक सहायक कोयला कंपनियों द्वारा स्वीकृत आरसीई/आरपीआर/यूसीई

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1	बरौद ओसी विस्तार आरसीआई	एसईसीएल	18.04.2012	3.00	258.56
2	ओसी कथारा का आरसीई	सीसीएल	1.10.2012	1.90	128.94
3	उर्धन ओसी (आरसीई)	डब्ल्यूसीएल	11.10.2012	0.50	70.23

(ड.) 1.4.2012 से 31.12.2012 तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. द्वारा स्वीकृत नई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1	आरजी ओसी–II विस्तार	एससीसीएल	29.06.2012	2.0	365.01
2	केके ओसीपी	एससीसीएल	24.07.2012	1.75	417.33

(च) 1.4.2012 से 31.12.2012 तक एससीसीएल बोर्ड द्वारा स्वीकृत आरएफआर

क्र. सं.	परियोजना	कंपनी	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत क्षमता (मि.टन. प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1	मनुगुरू ओसीपी आरएफआर	एससीसीएल	10.11.2012	1.50	430.14

6.2.4 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में कुल 732 खनन परियोजनाओं में से 2 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली 439 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं (वे परियोजनाएं जिनका विलय किया गया है, जिन्हें पूरा किया गया तथा विलय किया गया, मोचन निषेध किया गया तथा जहां कोयला भंडार समाप्त हो गया है) तथा 148 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं (लागत जमा आधार पर अनुमोदित 13 परियोजनाओं और अग्रिम कार्रवाई के रूप में 1 परियोजना को लेने सहित) और शेष 131 परियोजनाएं हटा गई हैं/रद्द की गई हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 142 खनन परियोजनाओं में (2.00 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली) में से 56 परियोजनाएं बंद हो गई हैं/समाप्त कर दी गई हैं। विलय कर दी गई है/मोचन निषेध कर दी गई हैं। शेष 86 परियोजनाओं में से 62 परियोजनाएं पूरी हो गई है, 11 परियोजनाएं समय से चल रही हैं, 12 परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं और 1 परियोजना को बोर्ड के अनुमोदन के कारण छोड़ दिया गया है।

6.2.5 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में 20 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली 116 खनन तथा 13 गैर–खनन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से 59 खनन परियोजनाएं और 3 गैर–खनन परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 20 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली कुल 28 परियोजनाओं (24 खनन तथा 4 गैर खनन) एससीसीएल में कार्यान्वयनाधीन हैं। इन 28 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं (11 खनन तथ 4 गैर–खनन) समय से चल रही हैं, 12 खनन परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं और 1 खनन परियोजना को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

6.3 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चूक के मुख्य कारण निम्नवत है:

(क) भूमि के अधिग्रहण में विलंब तथा पुनर्वास से संबंधित सम्बद्ध समस्याएं।

(ख) पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी देने में विलंब।

(ग) प्रतिकूल भू–खनन परिस्थिति के कारण विलंब।

(घ) अन्य विविध समस्याएं जैसे ठेकेदार द्वारा काम में देरी करना अथवा छोड़ देना, निविदा में भाग न लेना, डीजीएमएस की अनुमति में विलंब ।

6.4. परियोजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय

6.4.1 भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास :

i) सीआईएल ने मार्च, 2012 में एक नयी पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति को अनुमोदित किया है जिसमें सभी स्तरों पर भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से आर एंड आर मसलों का समाधान निकालने के लिए सहायक कंपनियों को और अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।

ii) अधिग्रहण कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

iii) राज्य प्राधिकारियों अर्थात भूमि राजस्व

आयुक्त, भूमि राजस्व सचिव और मुख्य सचिव तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित समितियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं ताकि गंभीर समस्याओं का निपटारा किया जा सके।

iv) आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रश्नों के उत्तर हेतु जिला तथा तहसीलदार स्तर पर वन अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर संपर्क किया जाता है । वन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए एमओईएफ के क्षेत्रीय तथा मुख्य कार्यालयों के साथ आवधिक संपर्क किए जाते हैं ।

v) पुनर्वास स्थल के चयन के लिए भूस्वामियों/ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाती है और उन्हें पुनर्वास लाभ स्वीकार करने तथा पुनर्वास स्थल पर स्थानांतरित होने के लिए राजी किया जाता है ।

6.4.2 भू–खनन संबंधी कठिनाइयां

भू–खनन परिस्थितियों का अग्रिम और सही तौर पर पूर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिकतम भू–गर्भीय तथा भू–भौतिकीय अन्वेषण तकनीकें धीरेधीरे अपनायी जा रही हैं ।

6.5 परियोजना प्रबंधन :

i. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए प्रत्येक कंपनी में निदेशक (परियोजना तथा आयोजना) की तैनाती।

ii. सरकार द्वारा परियोजना तैयार करने तथा मानीटरिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

iii. विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन प्रणाली का मानकीकरण किया गया है।

- महाप्रबंधक/ मुख्य महाप्रबंधक द्वारा क्षेत्र स्तर पर तथा निदेशक (परियोजना) द्वारा नियमित अन्तरालों पर तथा सीएमडी द्वारा कारपोरेट स्तर पर मासिक आधार अथवा नियमित अंतरालों पर परियोजना का प्रबोधन किया जाती है।
- परियोजना की स्थिति की भी अपवाद के रूप में कंपनी बोर्ड की प्रत्येक बैठक में समीक्षा की गयी है।
- जब परियोजना का व्यय स्वीकृत पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो कंपनी स्तर पर परियोजनाओं की अनिवार्य समीक्षा की जाती है।
- सीआईएल बोर्ड में 100 करोड़ तथा उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की भी अपवाद स्वरूप समीक्षा की जाती है।
- 100 करोड़ रूपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्टें कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।
- 150 करोड़ रूपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग नियमित रूप से मानीटरिंग करता है।
- प्रमुख परियोजनाओं की सचिव स्तर पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

6.5.1 परियोजना के कार्यान्वयन में अपेक्षित सहायता

i. राज्य सरकार के संबंधित निगमों का भूमिअधिग्रहण में अधिक महत्व है। राज्य सरकारों द्वारा भूमि का कब्जा दिया जाना

ओवर वर्डन निस्तारण प्रचालन में विशाल ड्रेग लाईन सहित कोयले का व्यापक दृश्य, पृष्ठभूमि में ओबी डम्प पर हरित पौधारोपण

राज्य सरकार के पास अपेक्षित निधि जमा कराने के पश्चात सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब से बचा जा सके।

ii. पर्यावरणीय अनुमोदन (ईसी) के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए समयबद्ध रूप से सार्वजनिक सुनवाई होनी चाहिए।

iii. वन भूमि के अधिग्रहण की जिम्मेवारी कोयला कंपनियों द्वारा ही निविल वर्तमान मूल्य प्रभार आदि के भुगतान तक सीमित होनी चाहिए । विभिन्न चैनलों में फाइलों के संचालन को सीमित करके, प्रस्ताव को प्रोसेस करने के अपेक्षित समय को अब कम किया जाना चाहिए। समयबद्ध रूप से ग्राम सभा होनी चाहिए ताकि एफआरए अधिनियम के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र जल्दी से प्राप्त किया जा सके।

iv. कोलियरियों ने कोयले की निकासी के लिए रेल अवसंरचना के निर्माण हेतु राज्य प्राधिकारियों/पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन देने में एक सार्थक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

6.6 निर्माणाधीन / कार्यान्वयनाधीन लिग्नाइट परियोजनाएं

6.6.1 भारत सरकार ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2004 को 4192.06 करोड़ रू. की पूंजी लागत से 250 मे.वा. वाली 2 यूनिटों के टीपीएस II विस्तार से संबद्ध खान।। की क्षमता को 10.5 मि.ट. प्रतिवर्ष से 15.0 मि.ट. प्रतिवर्ष तक विस्तार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 4749.50 करोड़ रू0 के संशोधित लागत अनुमान का जून, 2007 में अनुमोदन किया गया था।

6.6.2 टीपीएस।। विस्तार परियोजना के संबंध में, यूनिट–। को 27.6.2011 को तेल तथा लिग्नाइट के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। मार्च, 2012 से बंद यूनिट–। को रिफ्रेक्टरी कार्यों एवं क्वाइल पेंचरों को देखने के बाद 8 नवम्बर, 2012 को सिक्रोनाइज किया गया। सीम पोट 2 में रिफ्रेक्टरी क्षति को देखने के लिए यूनिट–। 25 नवम्बर, 2012 से बन्द है। फ्यूडीजाइड बेड हीट एक्सचेंजर क्वाइल एंड स्पेर्स रोडों में भी क्षति नोटिस की गयी। इसका विश्लेषण किया जा रहा है और मैसर्स भेल द्वारा संशोधित किया जाना है। यूनिट–।। में में उत्थान / संशोधित क्रियाकलापों के संबंध में रिफ्रेक्टरी संशोधन क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

6.6.3 तूतीकोरिन में एक कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना (1000 मे.वा.) 4909.54 करोड़ रूपए की लागत से मई, 2008 में स्वीकृत की गई थी। एनएलसी इस परियोजना को एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल) के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है जो एक संयुक्त उद्यम है जिसे एनएलसी और टीएनईबी द्वारा 89.11 के अनुपात में इक्विटी की भागीदारी से बनाया गया है। बायल संरचनाओं का उत्थापन, प्रेशर पार्ट, ईएसपी, पंखे और मिल्स प्रगति पर हैं। यूनिट–। में टर्बो जनरेटर उत्थापन 10 जुलाई, 2012 को चालू हो गया है। यूनिट–। के लिए बायरल हाईड्रोलिक परीक्षण 10 अक्तूबर, 2012 को पूरा हो गया है तथा यूनिट–।। के लिए 21 नवम्बर, 2012 को पूरा हो गया है। यूनिट–। के लिए कन्डेंसर मेकेनिकल उत्थापन प्रगति पर है और यूनिट–।। का भी यह शुरू किया जाना है। यूनिट–।। के संबंध में टर्बो जनरेटर उत्थापन की शुरूआत मैसर्स भेल द्वारा प्रतिक्षित है।

6.6.4 भारत सरकार ने 1368.25 करोड़ रू. की लागत वाली राजस्थान स्थित प्रत्येक 125 मे.वा. की दो यूनिटों की बरसिंगसर पावर प्रोजेक्ट से लिंक्ड 2.1 मि.ट. प्रतिवर्ष की बरसिंगसर लिग्नाइट खान परियोजना को 15 दिसम्बर, 2004 को मंजूरी दी थी । 1880.69 करोड़ रू0 का संशोधित लागत अनुमान जून, 2007 में मंजूर किया गया।

6.6.5 बरसिंगसर खान परियोजना के संबंध में, ओवर बर्डन और लिग्नाइट उत्पादन दोनों आउटसोर्स किया गया है । खान परियोजना जून, 2010 में पूरी की गई ।

6.6.6 बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना के संबंध में, पहली इकाई का समय 27.10.2009 रखा गया था और उसे माननीय कोयला राज्य मंत्री द्वारा 5 जून, 2010 को राष्ट्र को समर्पित किया गया तथा ईकाई–।। का समय भी 5 जून, 2010 रखा गया था।

6.6.7 बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना ईकाई–2 को 29 दिसम्बर, 2011 से वाणिज्यिक प्रचालन के लिए घोषित किया गया था । ईकाई–1 को 15 जनवरी, 2012 से वाणिज्यिक प्रचालन के लिए घोषित किया गया ।

6.6.8 नेयवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन

मौजूदा 600 मे.वा. की टीपीएस। के प्रतिस्थापन के रूप में नेयवेली में 5907.11 करोड़ रू0 की स्वीकृत लागत से नेयवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन (2X500 मे.वा.) 9 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है । इस परियोजना के 2015–16 में चालू किया जाना निर्धारित है । स्टीम जनरेटर पैकेज के लिए पुनः निविदा देने संबंधी क्रियाकलाप प्रगति पर हैं। मुख्य संयंत्र पैकेजों तथा संयंत्र के संतुलन के लिए निविदा देने संबंधी क्रियाकलाप प्रगति पर हैं।

6.7 जनवरी से मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए अनुमानित लक्ष्य

क. (i) कोल इंडिया लि0 द्वारा जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक संभवतः मंजूर किए जाने वाली नई/विस्ता. परियोजनाएं नीचे दी गई हैः

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	कंपनी	अनुमानित क्षमता (मि.टन. प्रतिवर्ष)	अनु. पूंजी लागत (करोड़ रु. में)
1.	लोहापट्टी यूजी	बीसीसीएल	0.35	167.24

(ii) सहायक कोल कंपनियों द्वारा जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक संभवतः मंजूर किए जाने वाली नई/विस्ता. परियोजनाएं नीचे दी गई हैः

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	कंपनी	अनुमानित क्षमता (मि.टन. प्रतिवर्ष)	अनु. पूंजी लागत (करोड़ रु. में)
1.	गोधुर कोलियरी में एलएचसीएम को लागू करना	बीसीसीएल	0.18	बोली दाता द्वारा वहन किया गया
2.	संघमित्रा ओसी	सीसीएल	20.0	
3.	टोपा पिंड्रा ओसी	सीसीएल	5.25	
4.	अस्वा ओसी	सीसीएल	1.0	
5.	गोकुल ओसी	डब्ल्यूसीएल	1.0	342.76

ख. कोल इंडिया लि0 द्वारा जनवरी से मार्च, 2013 तक संभवतः मंजूर किए जाने वाले आरसीई/आरपीआर/यूसीई नीचे दी गई हैः

क्र. सं.	परियोजनाओं के नाम	कंपनी	क्षमता 0.42 (मि.टन. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु. में)
1.	मोहन ओसी का आरसीई	एसईसीएल	0.36	148.72